

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2010

सूचना

क्र. एफ-3-147-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश भूमि विकास
नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य
सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) सहपठित

धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना
प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा
(1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, समस्त व्यक्तियों, जिनके
कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए
एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा, यह सूचना दी
जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की
तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार
किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के
संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि पर या उसके

अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

या

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2क) वहन करने योग्य आवास से अभिप्रेत है सरकारी अभिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर आय तथा निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय इकाई/प्रकोष्ठों के निर्माण की योजना जिसमें परिशिष्ट ड(क) में प्रावधानित छूट का लाभ लिया गया हो”.

2. नियम 94 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जावे अर्थात् :—

“(94क)” वहन करने योग्य आवास योजना—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शासकीय विकास संस्थायें एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वहन करने योग्य आवास योजनायें परिशिष्ट ड(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होंगी.

3. परिशिष्ट ड के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट ड(क) स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

परिशिष्ट ड (क)

वहन करने योग्य आवास योजना

(1) वहन करने योग्य आवास योजना में निम्नानुसार प्रावधान एवं सुविधायें होंगी :—

(क) भवन का कुर्सी क्षेत्रफल

- (1) कमजोर आय वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) न्यूनतम 25 वर्गमीटर एवं
- (2) निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) अधिकतम 48 वर्गमीटर.

(ख) हितग्राहियों का वर्गीकरण — आय के आधार

- (1) कमजोर आय वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) — रु. 5000/- प्रतिमाह.
- (2) निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) — रु. 5001 से रु. 10000/- प्रतिमाह.

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार.

- (ग) भूतल पर सार्वजनिक वाहन विराम तथा सामुदायिक गतिविधियों हेतु स्थान की उपलब्धता रहेगी.
- (घ) हितग्राही को इकाई के आधिपत्य प्राप्त करने से 15 साल के बाद ही विक्रय का अधिकार होगा.
- (ङ) 15 साल के पहले हितग्राही यदि चाहे तो आवंटन करने वाली संस्था को आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार आवासीय इकाई का समर्पण कर सकेगा.
- (च) विकासकर्ता द्वारा 15 वर्षों के लिए आवासीय इकाईयों का बीमा कराया जायेगा.
- (छ) हितग्राही पर आवासीय कल्याण समिति नियम तथा अन्य सामान्य नियम बंधनकारी होंगे.
- (ज) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन किये जाने पर सरकारी अभिकरण तथा निजी विकासकर्ता को निम्नानुसार विशेष प्रोत्साहन के साथ खण्ड (2) में दिये गये मॉडल के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त होगा.
- (झ) सरकारी अभिकरण तथा निजी विकासकर्ता जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग को आवास निर्माण के लिए उपलब्ध सबसिडी का लाभ भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे.
- (ट) वाणिज्यिक उपयोग —किसी आवासीय अभिन्यास (ले आउट) में भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत निम्नानुसार होगा :—

(वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि का फर्शी क्षेत्र अनुपात विकास योजना में उस क्षेत्रफल के लिए प्रावधानित अनुसार होगा.)

मार्ग की चौड़ाई अधिकतम वाणिज्यिक उपयोग का प्रतिशत

18 मी. तक चौड़े मार्ग पर विकसित भूमि का अधिकतम 2 प्रतिशत.

18 मी. से 24 मी. चौड़े मार्ग पर विकसित भूमि का अधिकतम 5 प्रतिशत.

24 मी. से ज्यादा चौड़ी सड़क पर विकसित भूमि का अधिकतम 10 प्रतिशत.

(ठ) निजी विकासकर्ता के लिए पैरामीटर निम्नानुसार होंगे—

- (1) इस परियोजना के लिए निजी विकासकर्ता स्वयं, सह उद्यमी अथवा विशेष प्रयोजन के रूप स्वीकार्य होंगे.
- (2) निजी विकासकर्ता को समान प्रकृति के आवास निर्माण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसने कम से कम 2 एकड़ के भूक्षेत्र पर एकल गृह निर्माण परियोजना कार्यान्वित की हो.
- (3) विकासकर्ता कंपनी तथा उसकी सहभागी/ सह उद्यमी कंपनी की सकल पूंजी परियोजना की लागत के कम से कम 10 प्रतिशत के समतुल्य होना चाहिए किन्तु इसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है.
- (4) खण्ड 2 में मॉडल 2 का लाभ लेने के लिए विकासकर्ता के पास संबंधित नगर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि, जिस पर परियोजना प्रस्तावित है, होना चाहिए अथवा उसे अर्जित की जाने वाली भूमि के मूल्य के समतुल्य राशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी परियोजना की कालावधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी.
- (5) विकासकर्ता के पास स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया वैध कालोनाईजर लाइसेंस होना चाहिए.

(2) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध विशेष प्रोत्साहन के मॉडल का विवरण निम्नानुसार है :—

मॉडल-1.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल/ विकास प्राधिकरण तथा नगरीय स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए कुल विकसित भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग के लिए कुल विकसित भूमि का 20 प्रतिशत पर आवास निर्माण करने का प्रावधान करेंगे. शेष 30 प्रतिशत भूमि अभिन्यास अनुसार विकसित की जा सकेगी.

विशेष प्रोत्साहन.—आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के आवासों के फर्शी क्षेत्र अनुपात के 0.15 गुना अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात की अनुमति होगी. इस अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात का उपयोग अभिन्यास (ले आउट) में किया जाएगा. अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात की ट्रांसफरेबल डेवलपमेन्ट राइट्स योजना के अंतर्गत किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर एक मुश्त अंतरण की अनुमति होगी.

मॉडल-2.—निजी विकासकर्ताओं द्वारा अपनी स्वयं की भूमि के कम से कम 40 प्रतिशत का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण करने में कर सकेगा. यदि निजी विकासकर्ता चाहे तो आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग प्रकोष्ठों का निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत भूमि का उपयोग कर सकता है.

विशेष प्रोत्साहन.—आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के आवासों के फर्शी क्षेत्र अनुपात के 0.25 गुना अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात की अनुमति होगी. इस अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात उपयोग अभिन्यास (ले आउट) में किया जाएगा. अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात की ट्रांसफरेबल डेवलपमेन्ट राइट्स योजना के अंतर्गत किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर एक मुश्त अंतरण की अनुमति होगी.

मॉडल-3.—आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए विकासकर्ता को शासकीय भूमि ऑफर के माध्यम से वर्णित शर्तों के अध्याधीन निःशुल्क प्रदान की जा सकेगी. विकासकर्ता को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए आवासीय भूमि के क्षेत्र के कम से कम 25 प्रतिशत का उपयोग करना होगा. विकासकर्ता को परियोजना में वर्णित अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय इकाईयां बनाकर निःशुल्क शासन को उपलब्ध कराना होगा.

मॉडल-4.—झुग्गी में निवास करने वालों के मूलस्थानास्थ पुनर्वास की दशा में जहां विकासकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय इकाईयां सरकार को उपलब्ध कराता है वहां ऐसी इकाईयां निम्नलिखित आधारों पर नियत की जायेंगी:—

- (क) पुनर्वास किये जाने के लिए ईकाईयों की संख्या, अथवा
- (ख) उपलब्ध करवाई गई शासकीय भूमि के विक्रय मूल्य के समतुल्य राशि में बनने वाली ईकाईयों की संख्या, जो भी अधिक हो.

विशेष प्रोत्साहन.—विकासकर्ता द्वारा बची हुई भूमि का उपयोग अभिन्यास अनुसार किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. एफ-3-147-2010-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-147-32-10, दिनांक 17 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 17th September 2010

No. F-3-147-2010-XXXII.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 2, after clause (2), the following clause shall be inserted namely :—

“(2a) “Affordable Housing Project” means a project for construction of dwelling units/flats for economically weaker sections and lower income groups by Government agencies and private developers with concessions as prescribed in appendix M(A)”.

2. After rule 94, the following rule shall be inserted, namely :—

“94A. Affordable Housing Projects—Notwithstanding anything contained in these rules, the affordable housing projects to be taken up by Government agencies and private developers shall satisfy the conditions laid

down in appendix MA for the model. The provisions and facilities shall be as given in appendix MA”.

3. After Appendix M, the following appendix shall be inserted, namely :—

“Appendix MA Affordable Housing Projects

(1) The Provisions and facilities in Affordable Housing Projects shall be as follows —

- (1) The built up area of a house for —

(a) Economically Weaker Section category - minimum 25 sqmts;

and

(b) Lower Income Group category - maximum 48 sqmts.

- (2) The income ceiling for —

(a) Economically Weaker Section upto Rs. 5000 per monts; and

(b) Lower Income Group Rs. 5001 to 10000 per month.

or

as specified by Govt. of India from time to time.

- (3) Space for parking and community activities will be available at ground floor level.

- (4) The beneficiary shall be allowed to sell the dwelling unit only after 15 years of taking possession.

- (5) The dwelling unit shall have to be surrendered to the Government agencies before expiry of 15 years, in case the allottee wants to sell the dwelling unit.

- (6) Houses shall be insured for 15 years by the developer.

- (7) The rules of Resident Welfare Association and other general rules shall be binding on the beneficiaries.

- (8) The Government agencies and private developer will get incentives as per chosen model given in clause (II) along with special incentives for implementation of the above said project.

- (9) The Government agencies and private developers may avail the benefit of the subsidy available for Economically Weaker Section/Lower Income Group housing under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission as per guidelines of Government of India.

- (10) Commercial usages.—The percentage of commercial land use in any residential layout shall be as follows :—

(The Floor Area Ratio for commercial land use will be as per the Development Plan provisions for that size of plot.)

Road Width	Maximum admissible commercial use
18 meter	Up to 2 percent of developed land.
18 to 24 meter	Up to 5 percent of developed land.
24 meter and above.	Up to 10 percent of developed land.

- (11) Parameters for Private Developers shall be as follows :—

- A private developer shall be acceptable as individual or as joint venture or special purpose vehicle for this project.
- The private developer should have a minimum experience of 3 years in construction of similar houses and should have implemented a single housing project with a minimum land area of 2 acres at one site.
- The cumulative capital of developer company and its associate/joint venture company should be equivalent to a minimum of 10 (ten) percent of the project cost but excluding the cost of land.
- The developer must have a minimum land admeasuring 5 acres in the town for which the project is proposed for availing the model 2 in clause 2 or shall have to furnish a Bank guarantee for the project period issued by any nationalised bank for the amount equivalent to the cost of land to be acquired.
- The developer must have a valid colonizers license issued by the local bodies as applicable.

- (2) The Models of incentive available for implementation of the project are detailed below :—

Model-1.—Madhya Pradesh Housing Board/ Development Authorities/local bodies shall make a minumum provision of housing of 50 percent for Economically Weaker Section/Lower Income Group and 20 percent for Middle Income Group housing. The balance 30

percent developed land can be developed as per the approved lay out.

Incentive.—An additional Floor Area Ratio of 0.15 times of the Floor Area Ratio of under Economically Weaker Section housing shall be allowed. This additional Floor Area Ratio to be utilized in the layout. One time transfer of additional Floor Area Ratio to another location prescribed shall be permitted under Transferable Development Right scheme.

Model-2.—The Private developer will use a minimum of 40 percent of his own land for construction of flats for Economically Weaker Section and Lower Income Group. If private developer wants he can construct up to 100 percent of land for construction of Economically Weaker Section/Lower Income Group Flats.

Incentive.—An additional Floor Area Ratio of 0.25 times of the Floor Area Ratio of land under Economically Weaker Section housing shall be allowed. This additional Floor Area Ratio to be utilized in the layout. One time transfer of additional Floor Area Ratio to another location prescribed will be permitted under Transferable Development Right scheme.

Model-3.—The developer can be provided with Government land free of cost if applied for by way of bid as per specified terms and conditions for construction of dwelling units for Economically Weaker Section/Lower Income Group to be transferred free of cost to the Government. The developer shall have to utilize a minimum of 25 percent of residential land area for construction of dwelling units for Economically Weaker Section/Lower Income Group.

Model-4.—In event of 'in-situ' rehabilitation of jhuggie dwellers and the developer provides dwelling units for Economically Weaker Section/Lower Income Group to the Government, the number of such units will be fixed on following basis —

- Number of units to be rehabilitated, or
- Number of dwelling units equivalent to the sale price of Government land provided which ever is more.

Incentive.—The developer shall utilize the balance land as per approved lay out.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

अन्तिम नियम

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-8-2-2010-तेईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन विश्वविद्यालयों में स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े विषयों पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :—

1. **छात्रवृत्ति का नाम.**—स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े विषयों पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति.
2. **उद्देश्य.**—यह छात्रवृत्ति स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में किये गये कार्यों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने तथा उनके द्वारा किये गये नवाचारी कार्यक्रमों के अध्ययन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों / मान्य अध्ययन केन्द्रों में शोध कार्य हेतु दी जायेगी.
3. **संख्या.**—प्रतिवर्ष पांच शोधार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी.
4. **शोध राशि.**—शोधार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि के बराबर राशि दी जायेगी. वर्तमान में यह राशि रुपये 8000/- प्रतिमाह है तथा वर्ष में दो किश्तों में दी जाती है.
5. **चयन प्रक्रिया.**—छात्रवृत्तियों का चयन आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित सामाजिक विज्ञान संकाय के 3 विषय विशेषज्ञ होंगे. चयन हेतु विभिन्न शोधार्थियों द्वारा शोध केन्द्रों से अग्रेषित किये गये आवेदनों पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा. छात्रवृत्ति के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से किया जायेगा.
6. **पात्रता.**—
 - 6.1 छात्रवृत्ति ऐसे उम्मीदवारों को दी जायेगी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो तथा जिन्होंने पी.एच.डी. के लिए शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य मध्यप्रदेश के किसी भी शोध संस्थान में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन किया हो एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र वि. वि. द्वारा जारी किया गया हो.
 - 6.2 स्नातकोत्तर उपाधि में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों.

6.3 मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो जिसका प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो.

6.4 उम्मीदवार का विश्वविद्यालय में पंजीयन दिनांक 1 नवम्बर 2009 के बाद हुआ हो.

7. अन्य शर्तें.—

- 7.1 छात्रवृत्ति शोध उपाधि समिति की स्वीकृति तिथि से 3 वर्ष तक अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के दिनांक तक, जो पहले हो, देय होगी.
- 7.2 छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसके लिये कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा. यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये ऐसी छात्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, अर्थात् एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी.
- 7.3 छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा. नवीनीकरण के लिये मुख्य शर्तें नियमित एवं संतोषजनक उपस्थिति एवं उत्तम आचरण होना अनिवार्य होगा. शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन छात्र को निर्देशक जन अभियान परिषद् तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही अगले वर्ष के लिये छात्रवृत्ति देय होगी.
- 7.4 छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की मांग संबंधित विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद् से की जायेगी. जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद् से की जायेगी जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्षों को आवंटित की जायेगी. आगामी नवीनीकरण उपेक्षित विवरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर किया जा सकेगा. ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में न हो, मैं, आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा.
8. **संवितरण अधिकारी.**—यह छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन) की ओर से वितरित की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.